

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: 2388/vii-1/19/03(67)/2018
देहरादून, दिनांक: 14 जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश संख्या-954/तीस-9/स्टोनकेशर-अनापत्ति/05, दिनांक 25 दिसम्बर, 2005 द्वारा श्री जीवन सिंह खेतवाल पुत्र स्व0 श्री त्रिलोक सिंह, निवासी ग्राम तुपेड़ हाल कठायतबाड़ा, जनपद बोगेश्वर के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम भाटनीकोट तोक दोया के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 7,1/2 नाली भूमि में स्टोन केशर की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। उत्तराखण्ड स्टोन केशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, प्लवराईजर, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाटमिक्स प्लान्ट एवं रेडीमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अध्याय-1 के बिन्दु सं० 9 में निहित प्रावधानान्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-856/खनिज/स्टोविनि०/बागे०/भूखनि०ई०/2017-18, दिनांक 20 सितम्बर, 2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में स्टोन केशर प्लान्ट स्वामी के पक्ष में पूर्व में उपरोक्तानुसार स्वीकृत स्टोन केशर के क्षेत्रफल के सापेक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार वर्तमान में आवेदक के पक्ष में उपलब्ध खसरा संख्या 5 से 17, खसरा संख्या 19, 20 एवं 22 से 27 तक कुल रकवा 0.590 है० भूमि में स्टोन केशर प्लान्ट स्वामी द्वारा घोषित क्षमता के आधार पर स्टोन केशर की क्षमता 30 टन प्रति घंटा निर्धारित कर उक्त नीति के अध्याय-III के बिन्दु सं० 2 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के अधीन संबंधित स्टोन केशर का विनियमितीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(बृजेश कुमार सन्त)
प्रभारी सचिव

संख्या:- 2388 (1)/vii-1/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. श्री जीवन सिंह खेतवाल पुत्र स्व0 श्री त्रिलोक सिंह, निवासी ग्राम तुपेड़ हाल कठायतबाड़ा, जनपद बोगेश्वर।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्पण कुमार राजू)
अनु सचिव